न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

ुदमा नं0 103/2014

शी पुत्र माले खां जाति मेव निवासी ग्राम घघवाडी तहसील पहाडी

वादी

बनाम

1. भौती पुत्र सोहनपाल पत्नि करन जाति कुम्हार निवासी ग्राम घघवाडी तहसील पहाडी हाल आबाद ग्राम गारू तहसील खेडली (अलवर)

प्रतिवादी

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी ।

फौरमल प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188, आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री यशपाल सैनी वकील वादी

दिनांक :– 01.03.2021

निर्णय

वादी द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188, आर0टी0एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नं0 928/0.09, हैक्टर बांके ग्राम घघवाडी तहसील पहाडी में स्थित है। आराजी मुतदाविया पूर्व में सोहनपाल पुत्र शादी के गैरखातेदारी का रकबा था। जिसे उसने वादी को सन 1978 के माह जून में एक मुश्त राशि लेकर हमेशा–हमेशा के लिये काश्त करने को बता दिया तथा आराजी से अपने संबंध हमेशा–हमेशा के लिये तर्क कर लिये है। तभी से वादी आराजी को वहैसियत खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है और आज भी मौके पर वादी का ही कब्जा व काश्त है। प्रतिवादी के पिता सोहन पाल का स्वर्गवास हो चुका है जिसकी वारिस प्रतिवादी है। आराजी को वादी को काश्त पर देने के समय से ही आराजी मुत0 पर प्रतिवादी के पिता सोहनपाल एवं उसके वारिस प्रतिवादी का कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। आराजी मुत0 की बाबत वादी को खातेदारी अधिकार हासिल हो चुके है। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में वादी के स्थान पर प्रतिवादी के पिता सोहनपाल का नामा गैरखातेदार इन्द्राज गलत तरीके से खिलाफ कानून व मौका कब्जा कर रखा है वादी गलत इन्द्राज को कलमजन कराकर अपने आपको आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित करा

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

दिनांक

Scanned with OKEN Scanner

का अधिकारी है। वादी का आराजी मुतदाविया पर माह जून 1978 से शान्ति रूप से कब्जा व काश्त चला आ रहा है तथा आराजी मुत0 के कुछ हिस्से अपने काश्तकारी का सामन रखने एवं काश्त के काम लेता चला आ रहा है। 5 सोहनपाल के मरने के उपरान्त प्रतिवादी आराजी मुत0 की कब्जे काश्त वादी नजाहमत व मदाखलत करना चाहती है तथा वादी के आराजी मुत0 की दारी अपने नाम कराकर दीगर जगह रहनवय मुन्तकिल करना चाहती है। नकी धमकी दिनांक 18.11.2014 को ग्राम घघवाडी में स्पष्ट शब्दों में दी है। र प्रतिवादी अपनी धमकी भरे इरादे में कामयाब हो गई तो वादी को अपरमित होगी जिसकी पूर्ति जर्रे नकद से न हो सकेगी। अतः दावा वादी डिक्री माया जाकर वादी आराजी खसरा नम्बर 928/0.09 हैक्टर बांके ग्राम घघवाडी सील पहाडी पर खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब या गया। प्रतिवादी बाबजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आये इसलिए नके विरूद्ध दिनांक 11.12.2019 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

साक्ष्य वादी में पी0डब्लू0 1 मुन्शी , पी0डब्लू0 2 ईशब, पी0डब्लू0 3 रेसिह के शपथ पत्र पेश कर अपनी साक्ष्य बन्द की।

बहस वकील वादी सुनी गई । वकील वादी ने अपने दावे में दर्ज तथ्यों ो दोहराया ।

वकील वादी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । पत्रावली में सलंग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 065 से 2068 का भी अवलोकन किया। उक्त नकल जमाबन्दी में प्रतिवादी का पेता सोनपाल पुत्र शादी विवादित आराजी का रिकोर्डेड गैरखातेदार है। वादी ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे कि वादी का विवादित आराजी पर कब्जा साबित हो सके। वादी अपने दावे को सिद्ध कराने में असफल रहा है।ऐसी स्थिति में दावा वादी खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :—

दावा वादी सिद्ध न होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री तैयार कर शामिल पत्रावली किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 01.03. 2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर).

दिनांक

Scanned with OKEN Scanner

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई
(ओ0 20 रू0 6–7 जाब्ता दीवानी)
[Civil Procedure Code Appendix D-I]
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पहाडी भरतपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

नं0 103/2014
त्र माले खां जाति मेव निवासी ग्राम घघवाडी तहसील पहाडी

वादी

बनाम

भौती पुत्र सोहनपाल पत्नि करन जाति कुम्हार निवासी ग्राम घघवाडी तहसील पहाडी हाल आबाद ग्राम गारू तहसील खेडली (अलवर)

प्रतिवादी

. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी ।

फौरमल प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188, आर0टी0 एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू मुझ संजय गोयल आर0ए0एस0 ....व हाजिरी वकील दी मिनजानिब वकील XXXX उपस्थित मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि त: आज्ञा है कि दावा वादी सिद्ध न होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

आज ..... X .... मुबलिग .... X ....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व हर .... X .... को सर्दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी .... X ....तक अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 01.03.. सन् 2021 को जारी की गई ।

दस्तखत ....
ओहदा ....

मुहर

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

मुद्दई		रूपया	पैसा	मुद्दालय		रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	....	2.00		स्टाम्प अरजीदावा	....		
स्टाम्प वकालतनामा	....	1.00		स्टाम्प वकालतनामा	....		
स्टाम्प वजह सबूत	....	1.00		स्टाम्प वजह सबूत	....		
महनताना वकील)पर	.....			महनताना वकील)पर	.....		
खर्चा गवाहान	.....			खर्चा गवाहान	.....		
फीस कमिश्नर	......			फीस कमिश्नर	......		
बबत इजराय हुक्मनामा	.....			बबत इजराय हुक्मनामा	.....		
मुतफर्रिक	.....			मुतफर्रिक	...		
मीजान	....	4.00		मीजान	....		